न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 04/2020

जीसीएमएस नम्बर : 2020/00035

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. टीमु कंवर पत्नी स्व. गंगासिंह 2. किरण कंवर 3. शिवसिंह 4. पदमा कंवर 5. हुकम सिंह पिसरान स्व. गंगासिंह जातियान राजपूत निवासीगण चण्डावल नगर तहसील सोजत, जिला पाली		1. नौजी देवी पत्नी हेमाराम जाति मेघवाल निवासी देवासीयों की ढाणी के पास, चण्डावल नगर, तहसील सोजत 2. सरपंच, ग्राम पंचायत चण्डावल नगर पंचायत समिति सोजत, तहसील सोजत, जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नवनीत गहलोत।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र वैष्णव।

–: निर्णय :–

दिनांक : 17/03/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 103/2004–05 दिनांक 10.11.2004, संकल्प संख्या 06 दिनांक 10.11.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 नौजी देवी पत्नी हेमाराम मेघवाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3481 दिनांक 15.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता के पिता का पट्टासुदा, कब्जासुदा प्लॉट ग्राम चण्डावल नगर की अबादी में आया हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों लघु एवं सीमान्त कृषक के तहत प्रार्थी के पिता के पक्ष में जैर निगरानी आराजी का निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन के तहत पट्टा संख्या 8409 जारी किया गया, जिस पर प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी प्रार्थीगण को परेशान करने एवं अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया जो पूर्णतया नियम विरूद्ध है। जैर निगरानी पट्टे के आवेदन दिनांक, बयान फार्म में गवाहान के नाम, आज्ञा सूची प्रस्ताव में दिनांक, बाडा के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नक्शे में कांट छाट की गई और मौका नक्शा भी तैयार नहीं किया गया। सम्पूर्ण आज्ञा सूची केवल एक ही दिन में तैयार की गई। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये नियमों से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिस खाजिर फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा कभी भी पट्टा संख्या 8409 जारी ही नहीं किया गया, उपरोक्त पट्टे की न तो कोई प्रतिलिपि, न ही कोई मिसल संख्या व प्रस्ताव संख्या प्रार्थी द्वारा बतायी गयी है। उक्त भूखण्ड ग्राम चण्डावल नगर के आबादी क्षेत्र खसरा संख्या 1819 में आया हुआ है। द्वितीय सेटलमेन्ट से पूर्व यह खसरा गैरमुमकिन आबादी दर्ज था परन्तु द्वितीय सेटलमेन्ट में इसकी किस्म गैरमुमकिन खड्डा दर्ज कर दी, जिसे न्यायालय सहायक कलक्टर से दुरूस्त करवाकर पुनः आबादी में दर्ज किया गया। जिसके पश्चात ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.11.2004 को उक्त आबादी भूमि में कब्जे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पूर्णतया पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिनुसार है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 103/2004–05 दिनांक 10.11.2004, संकल्प संख्या 06 दिनांक 10.11.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 नौजी देवी पत्नी हेमाराम मेघवाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3481 दिनांक 15.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी भूखण्ड का पूर्व में प्रार्थीगण के पिता/पति के पक्ष में अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों लघु एवं सीमान्त कृषक के तहत पट्टा संख्या 8409 जारी किया है तथा उसी भूखण्ड का अप्रार्थी ने विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के सम्बन्ध में न तो पट्टा संख्या 8409 की प्रमाणित प्रति पेश की और न ही यह प्रकट किया कि यह पट्टा किस प्रस्ताव के तहत बनाया गया। किसी भी प्रकरण में अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं कथनों को सिद्ध करने का दायित्व भी उसी अधिवक्ता का होता है परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण के लिखित अभिकथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह प्रकट नहीं होता कि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में कोई पट्टा जारी हो रखा हो अर्थात् अधिवक्ता प्रार्थीगण अपने उक्त कथन को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहे इसलिये अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण का लिखित बहस में अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थीगण के पिता/पति का कब्जा बतौर मालिक चला आ रहा था और उनके स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थीगण का ही एकमात्र कब्जा बतौर मालिक चला आ रहा है। अधिवक्ता प्रार्थीगण के इस उज्र का खण्डन करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी ने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

लिखित बहस में कथन किया कि हस्तगत पट्टे की आराजी पर अप्रार्थी का परिवार सहित पिछले 40 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है एवं वर्ष 1981 से लेकर वर्ष 2003 तक अप्रार्थी संख्या 1 के पति के नाम उक्त भूमि खसरा संख्या 1819 के रकबा 0.3000 हेक्टेयर पर कब्जा होने के सम्बन्ध में धारा 91 एलआर एक्ट के नोटिस आते रहे है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.11.2004 में स्पष्ट अंकन किया कि खसरा संख्या 1819 पूर्व में आबादी था परन्तु सैटलमेन्ट की गलती के कारण यह राजकीय भूमि दर्ज हो गयी और राजस्व विभाग द्वारा कब्जाधारकों को धारा 91 एलआरएक्ट के तहत नोटिस आ रहे है। वर्तमान में खसरा संख्या 1819 की भूमि पुनः आबादी में दर्ज हो चुकी है अतः कब्जे के आधार पर रियायती दरों पर पट्टे जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार अप्रार्थी के पति हेमाराम का खसरा संख्या 1819 पर कब्जा था, जिसके सम्बन्ध में उन्हें वर्ष 1981 से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस आ रहे थे। इसके विपरीत अधिवक्ता प्रार्थीगण अपने कथनों के समर्थन में ऐसे किसी ठोस दस्तावेज/साक्ष्यों को पेश करने में असमर्थ रहे। लिहाजा उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों से यह सुस्पष्ट है कि जैर आराजी पर अप्रार्थी के पति का कब्जा होने के आधार पर ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया जो विधिवंत् है तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण का जैर निगरानी आराजी पर कब्जे के सम्बन्ध में कथन दस्तावेज/साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों के अनुरूप है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें प्रस्तावित भूमि के पड़ौस अंकित करते हुये उसका नक्शा प्रस्तुत किया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 06.09.2004, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं मौका मनोनीत सदस्यों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये तथा उनके द्वारा नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसके आधार पर आदेशिका दिनांक 20.09.2004 के द्वारा नियम 147 के विक्रय विलेख जारी किये जाने का अस्थायी निर्णय लिया जाकर पंचायती राज नियम 148 के तहत नोटिस जारी किया गया, अन्दर म्याद कोई आपत्ति पेश नहीं होने पर कब्जा सत्यापन के सम्बन्ध में दो गवाहों के बयान लिये जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों की पालना करते हुये विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधिनुसार होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 103/2004–05 दिनांक 10.11.2004, संकल्प संख्या 06 दिनांक 10.11.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 नौजी देवी पत्नी हेमाराम मेघवाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3481 दिनांक 15.12.2004 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली